

इसे वेबसाइट [www.gopipress.nic.in](http://www.gopipress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

साधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2022-माघ 8, राव 1943

## विषय-सूची

भाग 1.- (1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- (1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं.

भाग 4.- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2022

क्र. एफ-1-(ए)105-2018-बी-2-दो- राज्य शासन, श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, रोनानी 15वीं माहिनी बिसबल, इन्दौर को 7 से 13 सितम्बर 2021 के सात दिवस का लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपयोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश साले से 14 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे उक्त अवकाश भर नहीं जाती तो अपने पद पर लौटनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2022

क्र. एफ-1-(प)20-2015-श-2-दो- राज्य शासन, श्री एम.एल. छारी, भापुसे पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 2 से 15 दिसम्बर 2021 के बीस दिवस का लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

275

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.

क्र. 98-11-पू.प्र.आ.स-29383-2022.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में बर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये हैं—

### अनुसूची

खस्त क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हस्ता क्रमांक/सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सिवनी	पुरई	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
2	सिवनी	कैवलवरी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
3	सिवनी	बंशीर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
4	सिवनी	ढण्डरा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
5	सिवनी	धनौरा	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
6	सिवनी	भरघाट	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
7	सिवनी	सखनाटीन	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
8	सिवनी	सिवनी	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र
9	सिवनी	सिवनी नगर	तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.	तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.	ग्राम का आबादी क्षेत्र

क्र. 99-11-पू.प्र.आ.स-29383-2022.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त,